भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 896

गुरुवार, 27 जून, 2019/6 आषाढ़, 1941 (शक)

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

896. श्री एच. वसंतकुमारः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितने किलोमीटर राजमार्गों का वर्ष-वार निर्माण किया गया है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है और क्या तय लक्ष्यों को हासिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) अगले तीन वर्षों के लिए प्रति दिन निर्माण लक्ष्य सहित तमिलनाडु राज्य सहित सरकार द्वारा राज्य-वार निर्धारित नवीन लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): गत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख) से (ग): गत पांच वर्षों के दौरान लक्ष्य और उपलब्धि निम्नलिखित है जो दर्शाता है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान उपलब्धि लगातार बढ़ी है: (लंबाई किमी में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2014-15	6300	4410
2015-16	10950	6061
2016-17	15000	8231
2017-18	15000	9829
2018-19	10000	10855

(घ) से (ड.): मंत्रालय वित्तीय वर्ष के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करता है, अगले तीन वर्षों के लिए ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है । तथापि, मंत्रालय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तमिलनाडु में 330 किमी सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए 11000 किमी का लक्ष्य निर्धारित किया है। निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

'राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण' के संबंध में श्री एच. वसंतकुमार द्वारा दिनांक 27.06.2019 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 896 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

गत पांच वर्षों के दौरान निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मित लंबाई (किमी में)				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	136	462	402	459	438
2	अरुणाचल प्रदेश	88	80	174	188	157
3	असम	178	87	165	302	323
4	बिहार	115	181	400	370	333
5	चंडीगढ़	1	0	0	0	0
6	छत्तीसगढ	307	327	483	522	397
7	दिल्ली	0	0	0	139	42
8	गोवा	0	2	4	20	11
9	गुजरात	139	277	86	189	303
10	हरियाणा	86	170	369	290	226
11	हिमाचल प्रदेश	34	100	72	134	157
12	जम्मू और कश्मीर	57	34	33	162	95
13	झारखंड	126	119	211	236	287
14	कर्नाटक	130	314	656	768	779
15	केरल	29	10	45	17	121
16	मध्य प्रदेश	335	306	475	594	829
17	महाराष्ट्र	124	324	750	1,345	2,293
18	मणिपुर	46	6	4	231	318
19	मेघालय	88	50	6	48	13
20	मिजोरम	5	15	88	43	59
21	नगालैंड	13	25	4	0	34
22	ओडिशा	386	268	490	535	534
23	पुदुच्चेरी	14	22	8	17	12
24	पंजाब	115	154	384	357	209
25	राजस्थान	853	1,063	1,125	1,075	728
26	सिक्किम	30	0	0	45	83
27	तमिलनाडु	58	236	469	307	356
28	तेलंगाना	170	222	113	161	370
29	त्रिपुरा	18	0	42	82	41
30	उत्तर प्रदेश	542	669	584	694	882
31	उत्तराखंड	49	335	203	256	237
32	पश्चिम बंगाल	138	203	386	222	127
33	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	21	61
जोड		**4410**	**6061**	**8231**	**9829**	**10855**

अनुलग्नक-।।

'राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण' के संबंध में श्री एच. वसंतकुमार द्वारा दिनांक 27.06.2019 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 896 के भाग (घ) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को कारगर बनाना
- विवाद निपदान तंत्र की पुनर्संरचना
- भूमि अधिग्रहण, मंजूरी इत्यादि के अनुसार पर्याप्त तैयारी के पश्चात् परियोजनाओं का ठेका देना। विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया संरेखण के अंतिम रूप देने और अंतिम व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के साथ साथ शुरु की जाएगी।
- ठीक तरह से तैयार किए गए जनसुविधा आकलनों को संरेखन को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् शीघ्रताशीघ्र प्राप्त किया जाएगा और वह मूल्यांकन प्रस्ताव का भाग होगा।
- परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और तकनीकी अनुसूचियां की प्राप्ति पर शीघ्रताशीघ्र शुरु की जानी चाहिए।
- आरओबी : आरओबी के लिए रेलवे द्वारा अनुमोदित जीएडी की प्रक्रिया सरल की गयी है और ऑनलाइन कर दी गयी है। रखरखाव प्रभारें जो कई परियोजनाओं की प्रगति में अवरोध पैदा कर रहीं थी, के लिए रेलवे द्वारा छूट दे दी गयीं हैं। मानक डिजाइन को वेबसाइट पर रखा गया है।
- अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वयन
- एकबारगी निधि निवेश
- बोली प्रक्रिया शुरु करने से पहले मुख्य भूमि का अधिग्रहण कार्य पूरा करना।
- विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा।
- इक्विटी निवेशकों के लिए प्रस्तावित निकास।
- सड़क क्षेत्र ऋणों का प्रतिभूतिकरण।
- प्राधिकरण के कारण हुए विलंबों के लिए क्षतिपूर्ति को तर्कसंगत बनाना।

*****